न्यायालयः— उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :— चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 105 / 2017 प्रार्थना पत्र

GCMS NO- 2017/00386

श्रीमति माधवी जैन पत्नि जितेन्द्र जैनद आयु 41 वर्ष निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ——प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ——विपक्षी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— 1— नरेन्द्र वैष्णव — अधिवक्ता वादी

दिनांक 31 .05.2022

::निर्णय::

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लै0रे0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा निम्बाहेडा प0ह0 निम्बाहेडा ए तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 38 आराजी नं0 1417 रकबा 0.5300 है0 मे से 1 / 41 वां हिस्सा स्थित है जिसके पुराने खाता संख्या 22 की आराजी नं0 2865 / 2542 / 1087 रकबा 1 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है जिसके पुराने खाता संख्या 22 की आराजी नं0 2865 / 2542 / 1087 रकबा 1 बिस्वा होकर उक्त आराजीयात संवत् 2058—2061 में प्रार्थीया की खातेदारी मे दर्ज थी, तथा प्रार्थीया ने उक्त आराजीयात जगदीशचन्द्र पिता लक्ष्मीलालजी सुखाडीया कुमावत निवासी नाथद्वारा से रजि0विक्रय पत्र दिनांक 05 / 08 / 2010 से प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही हैं, जो सेटलमेन्ट से पूर्व प्रार्थीया की खातदारी में सही रुप से दर्ज थी परन्तु वर्तमान सेटलमेन्ट में राजस्व कर्मचारियो की गलती से प्रार्थीया का नाम सहवन से दर्ज करने से रह गया है जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती से हुआ है। पूराने जमाबंदी मे प्रार्थीया का नाम सही रुप से दर्ज था और प्रार्थीया का मौके पर कब्जा चला आ रहा है। इसलिए पूराना जमावंदी अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार प्रार्थीया का नयी जमाबंदी में नाम अंकन किया जाना न्यायहीत में आवश्यक है प्रार्थीया का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से वर्तमान राजस्व रेकार्ड से हटा दिया है। जिसे पूरानी जमाबंदी अनुसार दुरुस्त कर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने पेश किया, प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट संलग्न कर पेश की तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब में वादग्रस्त आराजीयात रेकार्ड जमाबंदी में जिसके नये खाता संख्या 38 आराजी नं0 1417 रकबा 0.5300 है0 मे से

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

वां हिस्सा स्थित है जिसके पुराने खाता संख्या 22 की आराजी नं0 2865/2542/1087 रकबा 1 बिस्वा स्थित हैं। मिलान क्षैत्रफल अनुसार सही हैं नवीन रोटेशन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा तैयार रिकार्ड जमाबंदी संवत 2068–2071 के खाता नं0 39 पर सहखातेदार के साथ मुल खातेदार जगदीश चन्द्र पिता लक्ष्मीलाल सुखाडीया कुमावत हिस्सा 1/41 दर्ज रेकार्ड किया गया जबकि पूर्व मे खातेदार प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड अनुसार पुनः नवीन रेकार्ड में अंकन होना चाहिए जो प्रस्तावित निम्नानुसार हैं मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आराजी रकबा को नवीन खसरा संख्या 1417 रकबा 0.5300हेक्टेयर में शामिल कर मूल खातेदार दर्ज हुआ है जो संशोधन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित जमाबंदी मिलान क्षैत्रफल पेश किया है और तहसीलदार निम्बाहेडा के जवाब पटवारी हल्का निम्बाहेडा ए द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से प्रार्थीया की आराजी नं0 1417 रकबा 0.5300 हेक्टेयर में शामील कर मूल खातेदार के नाम दर्ज हुआ ।प्रार्थी ने सभी प्रभावित खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है । बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होगा। प्रार्थीया अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रही हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)